HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15606/2026
CNR: RJHC020963692026 | URN: CRLMB / 28850U / 2026

Vishal S/o Rajaram, Aged About 31 Years, R/o Village Kheda Balaji, Police Station Nagar Fort District Tonk. At Present Rented, House No. 79 Anand Vihar Muhana, Police Station Muhana, District Jaipur. (At Present Lodge At Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16439/2026
CNR: RJHC020999052026 | URN: CRLMB / 30361U / 2026

Nandkishore S/o Chotulal, Aged About 30 Years, R/o Village Morla, Police Station Lambaharisingh, District Tonk, Presently Tenant Of Shop No. F-113, Rajeshwari, Agrofruit Company, Muhana Mandi, Police Station Muhana, Jaipur. (At Present Confined In Central Jail Jaipur, District Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. B.L.Dhakar with Mr. Anil Kumar Mr. Kunal Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/10/2026

कार्यालय द्वारा इंगित त्रुटियों को दूर किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या–1/2026 पर सुना गया।

इस प्रक्रम पर यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आरोप पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दो अलग–अलग जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **मुहाना जिला जयपुर दक्षिण** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **877/2026** अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किए गए हैं, जो एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से सम्बन्धित होने से इनका निस्तारण इस एक ही आदेश से किया जा रहा है।

बहस जमानत प्रार्थना–पत्र सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त **विशाल** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध अनुसंधान के उपरांत जो आरोप–पत्र पेश किया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई साक्ष्य उसके विरूद्ध नहीं है। वह दिनांक 18.09.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हैं, अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त **नंदकिशोर** का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध यह आक्षेप है कि उसने अपना खाता साइबर ठगी के लिए किराए पर दिया है एवं उसके खाते में उसके सम्बन्ध में तीन शिकायतें पोर्टल पर दर्ज हैं। एक शिकायत 16 हजार रूपये की है। प्रार्थी/अभियुक्त फल बेचने वाला व्यक्ति है। अनुसंधान पूरा हो चुका है। वह दिनांक 18.09.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हैं, अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध साइबर ठगी का गम्भीर प्रकृति का आरोप है। पोर्टल पर उनके विरूद्ध शिकायतें भी दर्ज हैं। अतः उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 316(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों का आरोप है। प्रार्थीगण/

अभियुक्तगण दिनांक 18.09.2026 से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **विशाल पुत्र राजाराम एवं नंदकिशोर पुत्र छोटूलाल** की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र **इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे,** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्तगण को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक दो माह (alternative month) की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उनकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक दो माह पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्तगण द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्तगण के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

37-38/AJAY KUMAR SINGHAL